गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(नैक से A ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की तेहरवीं बैठक की विषय सूची एवं विवरणात्मक टिप्पणी

दिनांक : 06.09.2019
समय : सायं 03:00 बजे
स्थान : आई0क्यू0ए0सी0 सभागार, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 रूप किशोर शास्त्री, कुलपति–अध्यक्ष
2. डॉ0 नैपाल सिंह, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
3. डॉ0 नरिन्दर सिंह, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
4. श्री प्रेम भारद्वाज, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
5. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
6. प्रो0 सन्तराम वैश्य, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
7. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
8. प्रो0 राकेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
9. डॉ0 निपुर सिंह, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
10. डॉ0 सुनील पंवार, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
11. प्रो0 पी0सी0 जोशी, कुलसचिव/संयोजक

ईश वन्दना के साथ बैठक प्रारम्भ हुयी ।

बैठक में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री ओम प्रकाश के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया तथा दो मिनट का मौन रखा गया।

प्रस्ताव संख्या 01 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 01.06.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की विगत बैठक दिनांक 01.06.2019 को ए.आई.यू. हाउस, 16 कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवाही सभी सदस्यों को दिनांक 20.06.2019 को इस आशय से भेजी गयी थी कि यदि कार्यवाही में कोई आपत्ति है तो 15 दिन में (दिनांक 05.07.2019 तक) सूचित करने का कष्ट करें। इस कार्यवाही पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः बैठक में गत बैठक की कार्यवाही सम्पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 02 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 01.06.2019 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 01.06.2019 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन की रिपोर्ट संलग्न है।

गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 में डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये जिससे कि भविष्य में समस्या उत्पन्न न हो, क्योंकि वर्तमान में कुछ विभाग/संकाय हानि में चल रहे है। इस संदर्भ में डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि अनुरक्षण हेतु यू0जी0सी0 से धन प्राप्त होता है, परन्तु स्ववित्तपोषित हेतु स्वयं ही धन की व्यवस्था विश्वविद्यालय को करनी होती है। अतः स्ववित्तोषित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु सेवा शर्तों/नियमावली बनाये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाय । उक्त समिति के गठन हेतु सदन द्वारा मान्य कुलपति जी को अधिकृत किया गया है। मान्य कुलपति जी द्वारा उक्त समिति में संयोजक के

रूप में श्री देवेन्द्र कुमार, संयुक्त कुलसचिव का नाम प्रस्तावित किया तथा समिति के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में मान्य कुलाधिपति जी से विचार विमर्श के उपरान्त नाम प्रस्तावित किये जाने हेतु कहा गया।

गत बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 के अन्तर्गत डॉ0 अचल कुमार गोयल के प्रस्ताव के प्रकरण के सम्बन्ध में डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव ने सदन को अवगत कराया कि सातवें वेतन आयोग के निर्धारण के समय विश्वविद्यालय द्वारा नॉन–वोकेशनल पदों के सम्बन्ध में जो पत्र गठित समिति के अध्यक्ष को प्रेषित किया गया था। उसमें डॉ0 अचल कुमार गोयल के पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इनके पद को नॉन–वोकेशनल पद में परिवर्तन हेतु 1985 के पत्र का संज्ञान लिया गया, किन्तु सन् 2011 में यू0जी0सी0 से प्राप्त पत्र में वेतनमान 12000–18300 (समकक्ष रीडर वेतनमान) के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड वेतन 7600/– में ही परिवर्तित किया गया है। जो कि शिक्षकेत्तर वर्ग का वेतनमान है। चूंकि डॉ0 अचल कुमार गोयल का पूर्व का वेतनमान रू.12000–18300 था। अतः इनका वेतन निर्धारण भी गठित समिति द्वारा उक्त यू0जी0सी0 के पत्र के आलोक में ग्रेड वेतन रू.7600/– में ही किया गया था।

डॉ0 अचल कुमार गोयल के प्रकरण के सम्बन्ध में प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने बताया कि इनके द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रीडर वेतनमान के समकक्ष वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में एक वाद दायर किया गया था, जिसका निर्णय माह फरवरी, 2019 में आ चुका है तथा उक्त निर्णय में इन्हें रीडर वेतनमान के समकक्ष वेतनमान दिया जाना अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री विनय आर्य ने कहा कि यदि प्रबन्ध मण्डल की बैठक में कोई भी प्रस्ताव आता है तो उसकी पूर्ण जानकारी सदन में रखनी चाहिये। डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा डॉ0 अचल कुमार गोयल को रीडर वेतनमान के समकक्ष वेतनमान दिया जाना अस्वीकार किया गया है तो इनके प्रकरण को पूर्ण रूप से खारिज/अस्वीकार (Defer) किया जाना चाहिये ।

अतः बैठक में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

इसी प्रस्ताव के अन्तर्गत डॉ0 आर0के0एस0 डागर के पद को शिक्षक वर्ग में परिवर्तन करते हुए प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति पर यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में प्रो0 नरिन्दर सिंह ने सदन में डॉ0 आर0के0एस0 डागर के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति को सही प्रकिया के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने एवं मान्य उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेश जिसमें निदेशक, शारीरिक शिक्षा को शिक्षक के अन्तर्गत मानते हुए सम्बन्धित पत्रों की छायाप्रति सदन में प्रस्तुत की तथा सदन को अवगत कराया कि मान्य उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त आदेशों का पालन करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी निदेशक शारीरिक शिक्षा के पदों को शिक्षक वर्ग में परिवर्तित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्वीकृत निदेशक, शारीरिक शिक्षा पद पूर्ण रूप से यू0जी0सी0 रेगूलेशन के अन्तर्गत नॉन–वोकेशनल श्रेणी में आता है तथा जिसकी सेवानिवृति आयु UGC/MHRD के नियमानुसार 62 वर्ष निर्धारित है। अतः डॉ0 आर0के0एस0 डागर दिनांक 30.11.2018 को 62 वर्ष पूर्ण कर चुके है। इस पर कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 के रेगुलेशन को मानता है परन्तु मान्य न्यायालय के आदेशों को भी उसी प्राथमिकता से माना जाता है ।

डॉ0 नैपाल सिंह ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निदेशक शारीरिक शिक्षक पद को शिक्षक वर्ग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में जो आदेश निर्गत किये गये उन्ही के आलोक में डॉ0 आर0के0 सिंह डागर के पदनाम को शिक्षक वर्ग में परिवर्तित कर प्रोफेसर पद प्रौन्नति प्रदान की गयी है। श्री विनय आर्य ने कहा कि यदि शारीरिक शिक्षा पद को शिक्षक वर्ग में परिवर्तन के सम्बन्ध में मान्य उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली का आदेश है तो उसे मान्य कर लेना चाहिये।

डॉ0 नैपाल सिंह एवं श्री विनय आर्य के कथन का डॉ0 सुनील पवांर, डॉ0 निपुर सिंह एवं अन्य सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में दिनांक 01.06.2019 को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में डॉ0 आर0के0 सिंह डागर के प्रोफेसर पद पर प्रौन्नति के प्रस्ताव को मान्य करते हुए कियान्वयन की कार्यवाही को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 03

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् के रुप में नामित सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर नये सदस्यों को नामित किये जाने एवं वरिष्ठ संकायाध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर नये सदस्य के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में पूर्व में कुलाधिपति जी द्वारा शिक्षाविद् के रुप में नामित सदस्यों डॉ0 सत्यपाल सिंह, प्रो0 कपिल कपूर एवं डॉ0 योगानन्द शास्त्री का कार्यकाल दिनांक 21.03.2018 को समाप्त हो जाने के कारण उपरोक्त सदस्यों के स्थान पर वर्तमान कुलाधिपति डॉ0 सत्यपाल सिंह जी द्वारा शिक्षाविद् के रुप में निम्न नये सदस्यों को नामित किया गया है :–

1. डॉ0 नैपाल सिंह तोमर को शिक्षाविद् के रुप में दिनांक 20.06.2019 से 19.06.2022 तक (तीन वर्ष)/अगले उत्तराधिकारी के नामित होने तक अथवा अग्रेत्तर आदेश तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल का सदस्य नामित किया गया है ।
2. डॉ0 नरिन्दर सिंह को शिक्षाविद् के रुप में दिनांक 20.06.2019 से 19.06.2022 तक (तीन वर्ष)/अगले उत्तराधिकारी के नामित होने तक अथवा अग्रेत्तर आदेश तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल का सदस्य नामित किया गया है ।
3. श्री प्रेम भारद्वाज को शिक्षाविद् के रुप में दिनांक 20.06.2019 से 19.06.2022 तक (तीन वर्ष)/अगले उत्तराधिकारी के नामित होने तक अथवा अग्रेत्तर आदेश तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल का सदस्य नामित किया गया है ।
4. विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में पूर्व में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में नामित सदस्य प्रो0 आर0सी0 दूबे के संकायाध्यक्ष का कार्यकाल दिनांक 30.06.2019 को पूर्ण हो जाने के कारण प्रो0 आर0सी0 दूबे के स्थान पर मान्य कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के MoA के बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष मानविकी संकाय को दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2022 (तीन वर्ष) अथवा संकायाध्यक्ष के कार्यकाल तक (जो भी पहले हो) प्रबन्ध मण्डल में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में सदस्य नामित किया गया है ।

उक्त प्रस्ताव पर कुलसचिव ने नये सदस्यों का स्वागत करते हुये सभी का परिचय सदन में कराया। मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि डॉ0 नैपाल सिंह, डॉ0 नरिन्दर सिंह, श्री प्रेम भारद्वाज एवं प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव के विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल में सदय नियुक्त होने पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में इनका सहयोग प्राप्त होगा। सदन के अन्य सदस्यों द्वारा नये सदस्यों का स्वागत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 04

विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नियम संख्या 7.3.0 एवं विश्वविद्यालय के MOA के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए Search-cum-Selection Committee हेतु 03 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था । गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति हेतु प्रस्तावित नामों में से मान्य कुलाधिपति डॉ0 सत्यपाल सिंह जी द्वारा प्रो0 रुप किशोर शास्त्री को विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया । प्रो0 रुप किशोर शास्त्री ने दिनांक 05.08.2019 की पूर्वाह्न से विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

समस्त सदस्यों द्वारा प्रो0 रूप किशोर शास्त्री के विश्वविद्यालय के कुलपति बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

संख्या 05 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुरक्षण अनुदान अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवाओं के स्थायीकरण की स्वीकृति ।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का विश्वविद्यालय की सेवा में दो वर्ष का परीक्षण काल पूर्ण होने पर नियमानुसार सेवाओं का स्थायीकरण किया जाना है ।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत :–

क0 सं0	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्ग	कार्यभार ग्रहण तिथि	दो वर्ष पूर्ण होने की तिथि
1.	श्रीमती रसना	एस0पी0ए0	सामान्य	24.07.2017	23.07.2019
2.	श्री संजय कुमार	एस0पी0ए0	सामान्य	25.07.2017	24.07.2019
3.	श्री नरेश कुमार	विद्युतकार	ओ.बी.सी.	24.07.2017	23.07.2019
4.	श्री कुलदीप चन्द रतूड़ी	लाईब्रेरी अटैन्डेन्ट	सामान्य	14.07.2017	13.07.2019
5.	श्री अमरीश कुमार	लैब अटैन्डेन्ट	एस.सी.	24.07.2017	23.07.2019
6.	श्री सुशील कुमार	एम0टी0एस0	सामान्य	12.07.2017	11.07.2019
7.	श्री अभिषेक भट्ट	एम0टी0एस0	सामान्य	14.07.2017	13.07.2019
8.	श्री मोहित कुमार	एम0टी0एस0	सामान्य	12.07.2017	11.07.2019
9.	श्री देवेश उनियाल	एम0टी0एस0	सामान्य	26.07.2017	25.07.2019
10	श्री अश्वनी कुमार	एम0टी0एस0	सामान्य	12.07.2017	11.07.2019
11	श्री हेमन्त कुमार	एम0टी0एस0	सामान्य	12.07.2017	11.07.2019
12	श्री प्रवीन कुमार	एम0टी0एस0	एस.सी.	14.07.2017	13.07.2019
13	श्री आशीष थपलियाल	एम0टी0एस0	सामान्य	10.08.2017	09.08.2019

इस प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि क्या उक्त कर्मचारियों की परीक्षणकाल पूर्ण होने से पूर्व सम्बन्धित विभाग से इनके कार्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ली गयी है। कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया की शिक्षकेत्तर कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष ए0सी0आर0 पूर्ण की जाती है, जो की सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोर्डिनेटर/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से पूर्ण की जाती है तथा संयुक्त कुलसचिव, कुलसचिव एवं कुलपति जी द्वारा अंतिम अधिकारी के रुप में ए0सी0आर0 से सहमत या असहमत का अंकन किया जाता है । तद्नुसार ही कर्मचारियों के कार्य अंकित कर आगे की कार्यवाही की जाती है । उपरोक्त समस्त कर्मचारियों की दो वर्ष की ए0सी0आर0 में इनके सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोर्डिनेटर/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनके कार्य से सम्बन्धित कोई भी विपरीत टिप्पणी अंकित नही की गयी है । अतः सदन में सर्वसम्मति से उक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए स्थायी किया जाना स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 06 विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु ।

अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत निम्न शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F-4-5/2009 (JCRC) दिनांक 09 जुलाई 2010 एवं भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या F-35034/3/2015-Estt. (D) दिनांक 27 सितम्बर 2016 के अनुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मान्य कुलपति जी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत :–

क0 सं0	नाम	पदनाम	I/II/III MACP	MACP देय तिथि	देय लेवल /वेतनमान
1	श्री समीर	सेमी प्रोफेशनल असिस्टेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level - 6 Rs. 35400-112400
2	श्री रंजीत कुमार	जे0ई0, सिविल	I MACP	01.11.2018	Level - 7 Rs 44900-142400
3	श्री पुरुषोत्तम कुमार	लैब टैक्नीशियन	II MACP	21.01.2019	Level - 6 Rs. 35400-112400
4	श्री सुशील कुमार	लैब असिस्टेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level -5 Rs. 29200-92300

5	श्रीमती रीता सहरावत	एल0डी0सी0	I MACP	23.03.2019	Level -3 Rs. 21700-69100
6	श्री मुन्ना लाल	एम0टी0एस0	III MACP	24.04.2018	Level - 4 Rs. 25500-81100
7	श्री अयोध्या प्रसाद	एम0टी0एस0	II MACP	23.01.2019	Level -3 Rs. 21700-69100
8	श्री रविन्द्र सिंह	लैब अटैन्डेन्ट	II MACP	21.01.2019	Level -3 Rs. 21700-69100
9	श्री सत्यदेव	एम0टी0एस0	II MACP	21.01.2019	Level -3 Rs. 21700-69100
10	श्री गुरुप्रीत सिंह	लैब अटैन्डेन्ट	I MACP	01.11.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
11	श्री मनोज कुमार	सिस्टम अटैन्डेन्ट	II MACP	21.01.2019	Level -3 Rs. 21700-69100
12	श्री जसबीर सिंह	एम0टी0एस0	II MACP	01.11.2016	Level -3 Rs. 21700-69100
13	श्री नीरज	एम0टी0एस0	II MACP	21.01.2019	Level -3 Rs. 21700-69100
14	श्रीमती पदमा देवी	एम0टी0एस0	II MACP	21.01.2019	Level -3 Rs. 21700-69100
15	स्व0 श्री बालीराम	एम0टी0एस0	II MACP	22.12.2017	Level -3 Rs. 21700-69100
16	श्री प्रवेश कुमार	एम0टी0एस0	I MACP	08.03.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
17	श्री रामसुमत	एम0टी0एस0	III MACP	06.01.2016	Level - 4 Rs. 25500-81100
18	श्री गिरिश चन्द जोशी	प्लम्बर	III MACP	21.07.2017	Level -5 Rs. 29200-92300
19	श्री राजकिशोर शर्मा	एल0डी0सी0	III MACP	01.08.2016	Level -7 Rs. 44900-142400

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत :–

क0 सं0	नाम	पदनाम	I/II/III MACP	MACP देय तिथि	देय वेतनमान
1	श्री देवानन्द जोशी	कम्प्यूटर आपरेटर	I MACP	31.10.2018	Level - 7 Rs 44900-142400
2	श्री गौरवदीप सिंह भिण्डर	कम्प्यूटर आपरेटर	I MACP	31.10.2018	Level - 7 Rs 44900-142400
3	श्री धनपाल सिंह	सुपरवाईजर	I MACP	31.10.2018	Level - 6 Rs. 35400-112400
4	श्री संजय कुमार	लैब असिस्टेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level -5 Rs. 29200-92300
5	श्री रोशन लाल	लैब असिस्टेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level -5 Rs. 29200-92300
6	श्री सतीश कुमार	लैब असिस्टेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level -5 Rs. 29200-92300
7	श्री नितिन कुमार	लैब असिस्टेन्ट	I MACP	14.11.2018	Level -5 Rs. 29200-92300
8	श्री उमाशंकर	एल0डी0सी0	I MACP	31.10.2018	Level -3 Rs. 21700-69100
9	श्री ललित सिंह नेगी	एल0डी0सी0	I MACP	31.10.2018	Level -3 Rs. 21700-69100
10	श्री तरुण ऋषि	एल0डी0सी0	I MACP	31.10.2018	Level -3 Rs. 21700-69100
11	श्री मनोज कुमार	एल0डी0सी0	I MACP	31.10.2018	Level -3 Rs. 21700-69100
12	श्रीमती शान्ता	एल0डी0सी0	I MACP	03.11.2018	Level -3 Rs. 21700-69100
13	श्रीमती शकुन्तला देवी	लैब अटैन्डेन्ट	I MACP	03.11.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
14	श्री चरणजीत सिंह	लैब अटैन्डेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
15	श्री राजेश कुमार	लैब अटैन्डेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
16	श्री संतोष कुमार	लैब अटैन्डेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
17	श्री मंजीत सिंह	लैब अटैन्डेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
17	श्री मोहन सिंह	लैब अटैन्डेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
19	श्री अजय कुमार	लैब अटैन्डेन्ट	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
20	श्रीमती मंजू नेगी	एम0टी0एस0	I MACP	03.11.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
21	श्री तरुण कुमार	एम0टी0एस0	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
22	श्री राजवीर सिंह	एम0टी0एस0	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200

23	श्री प्रवीण कुमार	एम0टी0एस0	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
24	श्री नीरज कुमार	एम0टी0एस0	I MACP	11.11.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
25	श्री संजीव मिश्रा	एम0टी0एस0	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
26	श्री सूरज	एम0टी0एस0	I MACP	10.11.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
27	श्री नरेन्द्र मलिक	एम0टी0एस0	I MACP	31.10.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200
28	श्री सुरेन्द्र कुमार	एम0टी0एस0	I MACP	11.11.2018	Level - 2 Rs. 19900-63200

उक्त एम0ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में डॉ0 नैपाल सिंह ने जानकारी लेनी चाही कि क्या अनुरक्षण एवं स्ववित्तपोषित में समान ही नियम लागू होते हैं। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि स्ववित्तपोषित में जो कर्मचारी स्थायी रूप से कार्यरत है, उन्हें अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की भांति समान लाभ दिये जाते हैं। श्री विनय आर्य ने कहा की कोई भी प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने एवं प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त ही लागू किया जाना चाहिए एवं कोई भी प्रस्ताव प्रत्याशा अथवा अंकन हेतु प्रबन्ध मण्डल की बैठक में नहीं आना चाहिये।

यदि कोई प्रस्ताव बहुत ही आवश्यक हो तो इसकी स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों के मध्य सरकुलेशन के आधार पर स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।

अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में एम0ए0सी0पी, CAS एवं पदोन्नति इत्यादि के पत्र प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति होने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक एवं कर्मचारियों को जारी किये जाने चाहिए।

कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में उपरोक्त समस्त कर्मचारियों को एम0ए0सी0पी0 के पत्र एवं तद्नुसार वेतन जारी कर दिये गये हैं।

अतः उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वर्तमान में उक्त सभी कर्मचारियों की एम0ए0सी0पी0 को स्वीकार किया गया है तथा भविष्य में प्रस्ताव पर हुए निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना स्वीकार हुआ ।

प्रस्ताव संख्या 07

विश्वविद्यालय में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत शिक्षकों की अनुबन्ध अवधि के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल (BOM) की बैठक दिनांक 09.07.2018 के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत शिक्षकों की अनुबन्ध अवधि के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल (BOM) की बैठक दिनांक 09.07.2018 के पूरक प्रस्ताव संख्या 02 में निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय में अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से अधिकतम 23 माह हेतु किये जाने के लिये पुनः साक्षात्कार की प्रकिया सत्र 2019–20 से लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था ।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार पुनः साक्षात्कार की प्रकिया सत्र 2019–20 से लागू किये जाने की कार्यवाही से पूर्व नियुक्त होने वाले अनुबन्ध शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन, अवकाश तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रो0 पंकज मदान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है । गठित समिति की संस्तुति विश्वविद्यालय प्रशासन को अभी प्राप्त नही हुई है । अतः पूर्व से अनुबन्ध आधार पर नियुक्त शिक्षकों की कार्य–अवधि दिनांक 03.06.2019 से 30.09.2019 अथवा साक्षात्कार होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ायी गयी है । समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रकिया आरम्भ कर दी जोयगी ।

उक्त प्रस्ताव पर प्रो0 राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि ए0आई0सी0ई0टी0 तथा पी0सी0आई0 एक वर्ष से कम अवधि के समयावधि को शिक्षकों की श्रेणी में नहीं मानती हैं। मान्य कुलपति जी द्वारा बाध्यता बताते हुए उक्त शिक्षकों का कार्यकाल 23 माह अथवा साक्षात्कार होने तक (जो भी पहले हो) के लिये बढाये जाने हेतु सदन में प्रस्ताव रखा। उक्त पर सदन में विचार विर्मश के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त अनुबन्ध शिक्षकों (पूर्ण वेतनमान में कार्यरत) का कार्यकाल दिनांक 03.10.2019 से 23 माह अथवा साक्षात्कार होने तक (जो भी पहले हो) के लिए बढा दिया जाए तथा समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसका अध्ययन करने के उपरान्त

तदनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी जाये। कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । चूंकि बैठक के प्रस्ताव संख्या 02 में स्ववित्त पोषित हेतु सेवा शर्तों एवं नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में समिति के गठन का निर्णय लिया जा चुका है । अतः भविष्य में उक्त गठित समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त् ही आगे की प्रकिया कि जायेगी।

प्रस्ताव संख्या 08

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से MoA संशोधन के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र संख्या F.1-2/2018 (CPP-/DU) दिनांक 21.05.2019 के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व के स्वीकृत MoA के सम्बन्ध में संशोधन करने हेतु दिनांक 21.05.2019 को पत्र संख्या F.1-2/2018 (CPP-I/DU) प्रेषित किया गया है । उक्त पत्र में निर्देशित किया गया है, कि संशोधित MoA को विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये ।

उक्त के आलोक में उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 13.03.2019 के प्रस्ताव संख्या 11 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र संख्या F.43-1/2009 (CPP-I/DU) दिनांक 05.02.2019 के अनुसार विश्वविद्यालय का नाम अंग्रेजी में Gurukula Kangri (Deemed to be University) तथा हिन्दी में विश्वविद्यालय का नामकरण गुरूकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय) किया जाना स्वीकार किया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 05.02.2019 के पत्र में स्पष्ट अंकन है कि सोसाईटी रजिस्ट्रार के कार्यालय में विश्वविद्यालय का नाम संशोधित करने के उपरान्त् पंजीकृत MoA को स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा यू0जी0सी0, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाय ।

उपरोक्त के आलोक में कुलसचिव ने सदन को सूचित किया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन सबन्धी कार्य सोसाईटी रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत करने की प्रकिया जारी है । कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इस कार्य में विलम्ब हो रहा है, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सहयोग से समाधान का प्रयास जारी है । सोसाईटी रजिस्ट्रार के कार्यालय में विश्वविद्यालय का नया नाम पंजीकृत होने के उपरान्त् विश्वविद्यालय के संशोधित MoA को स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं यू0जी0सी0 नई दिल्ली को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

उक्त प्रस्ताव पर श्री प्रेम भारद्वाज द्वारा कहा गया कि एम0ओ0ए0 का संशोधन शीघ्र तैयार कर यू0जी0सी0 एवं एम0एच0आर0डी0 को स्वीकृति हेतु भेजने से पूर्व स्पोन्सरिंग सोसाईटी के तीनों सभाओं को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय का नया MoA लगभग तैयार हो चुका है, परन्तु उसे अभी तक स्पोन्सरिंग सोसाईटी को इसलिए नहीं भेजा गया कि विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर गुरुकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय) हो जाने पर सबसे पहले सोसाइटी कार्यालय में नाम परिवर्तन किया जाना है। अतः उक्त कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त स्पोन्सरिंग सोसाइटी के तीनों सभाओं को इसकी प्रति प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः बैठक में उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का अंकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 09

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत शिक्षक वर्ग में प्राप्त 19 पदों (02 पद प्रोफेसर, 08 पद एसोसिएट एवं 09 पद असिस्टेन्ट प्रोफेसर) एवं शिक्षकेत्तर वर्ग में पूर्व में Tenure/ Contract आधार पर स्वीकृत 08 शिक्षकेत्तर पदों (गैर तकनीकी वर्ग) को पूर्ण वेतनमान में नियमित नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत पत्र संख्या मि0 सं0 8–6/2008 (के0वि0वि0) दिनांक 31.05.2019 के अनुसार शिक्षक वर्ग में प्राप्त 19 पद (02 पद प्रोफेसर, 08 पद एसोसिएट एवं 09 पद असिस्टेन्ट प्रोफेसर) नियमित वेतनमान में प्राप्त हुए हैं तथा शिक्षकेत्तर वर्ग में पूर्व में Tenure/ Contract आधार पर स्वीकृत 08 शिक्षकेत्तर पदों (गैर तकनीकी वर्ग) को पत्र संख्या

मि0 सं0 8–6/2008 (के0वि0वि0) दिनांक 06.05.2019 के अनुसार पूर्ण वेतनमान में स्वीकृत किये गये है ।

उक्त पदों को नियमित रुप से भरे जाने हेतु स्वीकृत पत्रों में स्पष्ट अंकन किया गया है कि **"विश्वविद्यालय उक्त पदों पर नियुक्ति निर्धारित भर्ती नियमों के अनुरुप व्यापक प्रचार प्रसार (रोजगार समाचार, एवं हिन्दी व अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन सहित) के बाद ही करें । साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इस बारे में कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो तथा विश्वविद्यालय भारत सरकार/यू0जी0सी0 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार SC/ST/OBC/PH/EWS के लिये आरक्षण नीति का सख्ती से पालन करना चाहिए"** ।

उपरोक्त के आलोक में वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से रिक्त विभिन्न शिक्षक पदों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत शिक्षक वर्ग में प्राप्त 19 पदों (02 पद प्रोफेसर, 08 पद एसोसिएट एवं 09 पद असिस्टेन्ट प्रोफेसर) पर साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की प्रकिया किये जाने हेतु दिनांक 28.07.2019 को Indian Express, Financial Express, जनसत्ता एवं दैनिक जागरण में विज्ञापन जारी किया जा चुका है । शिक्षकेत्तर वर्ग में रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन तैयार करने की प्रकिया जारी है ।

उक्त प्रस्ताव पर डॉ0 नैपाल सिंह एवं श्री प्रेम भारद्वाज ने कहा कि यू0जी0सी0 से प्राप्त स्वीकृत पदों पर यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिए। श्री विनय आर्य ने कहा कि भविष्य में विश्वविद्यालय का कोई भी विज्ञापन जारी होता है तो उसे तीनों सभाओं की पत्रिकाओं में ही विज्ञापन हेतु प्रेषित किया जाए।

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में पूर्व में नामित सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर नये सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BoM) में पूर्व में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में नामित सदस्य प्रो0 ईश्वर भारद्वाज के संकायाध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण प्रो0 ईश्वर भारद्वाज के स्थान पर मान्य कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के MoA के बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर प्रो0 राकेश कुमार शर्मा, संकायाध्यक्ष प्राच्य विद्या संकाय को दिनांक 20.08.2019 से 14.03.2020 (संकायाध्यक्ष के कार्यकाल) तक प्रबन्ध मण्डल में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में सदस्य नामित किया गया है ।

सदन में सभी सदस्यों द्वारा प्रो0 राकेश कुमार शर्मा के प्रबन्ध मण्डल का सदस्य बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

पूरक प्रस्ताव संख्या 02 विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत पदोन्नति के 03 रिक्त प्रोफेशनल असिस्टेन्ट, लैब असिस्टेन्ट एवं उच्च श्रेणी लिपिक (UDC) के पदों पर विभागीय पदोन्नति की बैठक दिनांक 20.07.2019 की सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत शिक्षकेत्तर वर्ग के पदोन्नति हेतु रिक्त प्रोफेशनल असिस्टेन्ट एवं लैब असिस्टेन्ट के पदों पर विभागीय पदोन्नति हेतु दिनांक 20.07.2019 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विश्वविद्यालय रिक्रूटमेन्ट रुल्स 2012 में दी गयी शर्तों के अनुसार वरिष्ठता कम उपयुक्तता एवं पांच वर्षों की ए0सी0आर0 का अवलोकन के उपरान्त् विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्न कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गयी है :–

क.सं.	कर्मचारी का नाम	पूर्व पदनाम	पदोन्नति के उपरान्त् पदनाम	देय वेतन लेवल
1.	श्री राजीव कुमार	सेमी प्रोफेशनल असिस्टेन्ट	प्रोफेशनल असिस्टेन्ट	वेतन लेवल–06
2.	श्री सुशील कुमार	लैब अटैन्डेन्ट	लैब असिस्टेन्ट	वेतन लेवल–04
3.	श्री अशोक कुमार डे	अवर श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	वेतन लेवल–04

उक्त कर्मचारियों में से क0सं0 03 पर अंकित श्री अशोक कुमार डे ने दिनांक 24.07.2019 को प्रेषित प्रार्थना–पत्र में उच्च श्रेणी लिपिक (UDC) पद पर हुई पदोन्नति को स्वीकार नही किया गया है एवं पूर्व अवर श्रेणी लिपिक (LDC) पद पर ही कार्य करने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया था । उक्त के आलोक में मान्य कुलपति जी द्वारा श्री अशोक कुमार डे के अनुरोध को स्वीकर कर लिया गया है ।

उक्त प्रस्ताव पर प्रस्ताव संख्या 06 में लिये गये निर्णय (भविष्य में एम0ए0सी0पी0, CAS एवं पदोन्नति इत्यादि के पत्र एवं वेतनमान प्रबन्ध मण्डल में स्वीकृत होने के उपरान्त ही जारी किये जाने चाहिये) के अनुसार ही भविष्य में कार्यवाही किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि चूंकि उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति का पत्र एवं नियमानुसार वेतन निर्धारण का लाभ दिया जा चुका है। अतः उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कम संख्या 01 और 02 पर अंकित कर्मचारियों की पदोन्नति एवं कम संख्या 03 पर अंकित कर्मचारी को उनके पूर्व पद पर ही कार्य किया जाना स्वीकार किया जाता है । भविष्य में प्रस्ताव पर हुये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।

अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 01 विश्वविद्यालय में समस्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में समस्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के सम्बन्ध में हुये विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त बायोमेट्रिक उपस्थिति को दिनांक 01.01.2020 से आरम्भ कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रो0 विवेक कुमार की अध्यक्षता में पूर्व में ही एक समिति गठित कर दी गयी है। डॉ0 नैपाल सिंह द्वारा कहा गया कि भारत सरकार के समस्त कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति काफी समय पूर्व से ही लागू की जा चुकी है। अतः इस सम्बन्ध में गठित समिति को उक्त कार्य हेतु एक निश्चित समय देकर कार्य को यथा शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाये।

बैठक में समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2020 से शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक व्यवस्था को लागू किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है।

बैठक के अन्त में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा शान्ति पाठ के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई ।

कुलसचिव